न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 166/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 22.09.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1 विनय गोस्वामी पुत्र गोपाल लाल गोस्वामी अध्यक्ष मूर्ति मंदिर महाप्रभू जी विराजमान पाटनपोल कोटा मुख्तार आम विक्रम मीणा पुत्र शिवचरण मीणा निवासी खेड़ली फाटक, कोटा राज0

...अपीलांट

बनाम

1. सतप्रीत सिंह बरार पुत्र सुखविंदर सिंह जाति सिक्ख
2. गुरूबाज सिंह बरार पुत्र सुखविंदर सिंह जाति सिक्ख
3. गुर्दानिश सिंह बरार पुत्र स्व0 अमृत पाल सिंह जाति सिक्ख
   निवासीगण गुरूनानक कृषि फार्म देवली अरब रोड़ बोरखेड़ा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा
4. तहसीलदार, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मुकेश मीणा –अपीलांट्स
श्री रघुवीर सिंह राठौड़ (केवियटर अभिभाषक) –रेस्पो0

::निर्णय::

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)

दिनांक 09.07.2024

1 प्रार्थी अभिभाषक (रेस्पो संख्या 1 लगायत 3 सतप्रीत वगेरह) की ओर से जेरकार अपील संख्या 166/2022 उनवान विनय गोस्वामी बनाम सतप्रीत सिंह बरार वगेरह में वास्ते स्थगित किये जाने अपील कार्यवाही दिनांक 25.05.2023 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पेश किया गया।

2 प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28.07.2022 के विरूद्ध अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की हैं। उक्त आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 759 दिनांक 27.09.2022 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में खोला जा चुका हैं। वर्तमान में रेस्पो 1–3 जैरअपील आराजी के रिकोर्ड खातेदार एवं काबिज काश्त हैं। अपीलांट को जेरअपील आदेश के विरूद्ध आक्षेप यह है कि आराजी मंदिर मूर्ति महाप्रभू जी विराजमान पाटनपोल कोटा की है इसलिये उक्त आराजी के खातेदार गुरूदेव सिंह जी को उनके हिस्से 1/2 आराजी की वसीयत करने का अधिकार नहीं था और खातेदार द्वारा की गई

वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामन्तरकरण खोलने का आदेश दिया है, वह गलत हैं। अपीलांट विनय गोस्वामी द्वारा वर्ष 2008 में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां दो वाद संख्या 113/2008 बउनवान मूर्ति मंदिर महाप्रभू वगेरा बनाम गुरूदेव सिंह व वाद संख्या 112/2008 मूर्ति मंदिर महाप्रभू वगेरा बनाम गुरूदेव सिंह, हरनेक सिंह प्रस्तुत कर रखे है। उक्त वादों के साथ विनय गोस्वामी द्वारा धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी को रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किये थे। जो मि.नं. 87/2008 एवं 88/2008 बउनवान मूर्ति मंदिर महाप्रभू बनाम गुरूदेव सिंह व मूर्ति मंदिर महाप्रभू बनाम गुरूदेव सिंह व हरनेक है, उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 15.04.2011 से निरस्त कर दिया है। उक्त निरस्त किये गये प्रार्थना–पत्रों के विरूद्ध अपील मूर्ति मंदिर की ओर से विनय गोस्वामी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां दो अलग–अलग अपील पेश की थी, जिनकी अपील संख्या 25/2011 बउनवान मूर्ति मंदिर श्री महाप्रभू जी बनाम गुरूदेव सिंह व अपील संख्या 26/2011 मूर्ति मंदिर महाप्रभू जी महाराज बनाम गुरूदेव सिंह, हरनेक सिंह हैं। उक्त दोनों अपीलों को राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 25.11.2011 से खारिज कर दिया हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी 1964 से रेस्पो0 के दादा हरनेक सिंह व उनके भाई गुरूदेव सिंह की खाते व कब्जे काश्त की आराजी है तथा गुरूदेव सिंह के हिस्से की आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 काबिज काश्त हैं। वर्तमान में जैर अपील आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें यह तय होना है कि उक्त आराजी मंदिर की है या नहीं। प्रस्तुत अपील विरासत में तय हुई है, किसी प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं हुआ हैं और अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में है और ना ही माननीय न्यायालय में उक्त विरासत को चैलेंज किया गया है और न हीं विरासत के बारे में किसी प्रकार की आपत्ति की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में अपील व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई आपत्ति का अनुतोष एक ही है, इसलिए एक ही अनुतोष के लिय दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः अपील की कार्यवाही को वाद के विचाराधीन रहने तक स्थगित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 उपरोक्त प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थी (अपीलांट विनय गोस्वामी मुख्तारआम विक्रम मीणा) की ओर से जरिये अभिभाषक जवाब पेश करते हुए वर्णित किया कि दिनांक 28.07.2022 की अपील पेश करना स्वीकार है। उक्त आराजी मूर्ति मंदिर महाप्रभुजी विराजमान पाटनपोल कोटा की आराजी है, जो शाश्वात नाबालिग हैं। जिसे उनकी सम्पत्ति का अंतरण, बेचान, वसीयत आदि नहीं किया जा सकता हैं। गुरूदेव सिंह के द्वारा जो वसीयत निष्पादित की गई है वह अपीलांट मूर्ति मंदिर के हक–अधिकारों के विरूद्ध है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, कोटा के यहां पृथक–पृथक दो वाद तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां अपील पेश करना स्वीकार है परंतु उक्त अपील प्रा0 पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में है, जिसमें हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता हैं। खातेदार को वसीयत करने का अधिकार उस स्थिति में है, जिस स्थिति

में वह संपत्ति का मालिक हो परंतु उक्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री महाप्रभुजी की आराजी हो जो परपेचुअल माईनर है, जिनकी सम्पत्ति/आराजी की वसीयत किसी के पक्ष में नहीं की जा सकती हैं। नामांतरकरण की कार्यवाही तथा नियमित दावे की कार्यवाही अलग–अलग है। यदि नामांतरकरण की कार्यवाही विधि विरूद्ध की जाकर निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी अपील का प्रावधान धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम में आलेखित है। अतः रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जावे।

4 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संबंध में बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (रेस्पो0 1 लगायत 3) एवं अप्रार्थी (अपीलार्थी) सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (रेस्पो0 1 लगायत 3) ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के समर्थन में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील विरासत में तय हुई है तथा किसी प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं हुआ हैं और उक्त विरासत को किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है और न हीं विरासत के बारे में किसी प्रकार की आपत्ति की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में अपील व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई आपत्ति का अनुतोष एक ही है, इसलिए एक ही अनुतोष के लिय दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील की कार्यवाही को वाद के विचाराधीन रहने तक स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2017 (2) page 1348, RBJ 2013 Page 77, RBJ 1999 page 481, RRD 1994 page 659, DNJ 2009(2) page 750 न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये।

6 विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (अपीलांट) ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नामांतरकरण की कार्यवाही में अपील का प्रावधान धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम में आलेखित होने से प्रार्थी अभिभाषक (रेस्पो0 1 लगायत 3) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2011 (2) page 1264, RRT 2023(2) Page 1111 न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, एंव जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2022) ग्राम नयानोहरा, तहसील लाड़पुरा के खसरा संख्या 13 रकबा 5.37 है0, खसरा सं0 3 रकबा 1.20 है0, खसरा संख्या 7 रकबा 0.10 है0, खसरा सं0 8 रकबा 0.12 है0 कुल 4 किता रकबा 6.79 है0 एवं खसरा संख्या 11 रकबा 3.64 है0, खसरा सं0 9 रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 4.89 है0 वादग्रस्त आराजी के गुर्दानिश सिंह हिस्सा 1/6, गुरबाज सिं हिस्सा 1/6, सतप्रीत सिंह हिस्सा 1/6 एवं हरनेक सिंह हिस्सा 1/2 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकोर्ड हैं। प्रार्थी अभिभाषक (रेस्पो. 1 लगायत 3) का प्रकरण मे मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त आराजी

1964 से रेस्पो0 के दादा हरनेक सिंह व उनके भाई गुरूदेव सिंह की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की है एंव गुरूदेव सिंह के हिस्से की आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त आराजी के संबध मे वर्तमान मे पक्षकारान के मध्य सक्षम राजस्व न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारान के हक हकूको का निर्धारण होगा। प्रस्तुत अपील तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विरासत मे संबंध मे पारित आदेश दिनांक 28.7.2022 के विरूद्ध पेश की है। जेरअपील आदेश से किसी प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं हुआ हैं और अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय एंव न्यायालय हाजा मे विरासत को चैलेंज नही किया गया तथा ना ही विरासत के संबध मे किसी प्रकार की आपत्ति की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद एंव अपील मे चाहे गये अनुतोष की विषय वस्तु एक समान होने से पृथक पृथक न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपने कथन मे समर्थन मे प्रार्थी (रेस्पो0 1 लगायत 3) अभिभाषक द्वारा निम्नानुसार न्यायिक उद्धरण पेश किये :–

RRT 2017 (2) page 1348 एवं RBJ 2013 Page 77 : When regular suit and appeal against summary proceeding about same land is pending before different Courts. Apeal against summary proceeding will be stayed till disposal of suit.

RRD 1994 Page 659 : Rajasthan Land revenue Act 1956 – Section 135 : Mutation proceeding are of fiscal nature and are to be decided summarily- No finality attaches to mutation proceedings.

RBJ 1999 Page 481 :Mutation, when regular suit is pending in competent court – Summary Proceeings should be stayed.

DNJ 2009(2) page 750-751 : When there are no powers given specifically by specific provision of law then to do justice, the Court may exercise inherent powers under Section 151, CPC. even when said prayer is not made by moving application under Section 151, CPC

8 इसके विपरीत अप्रार्थी (अपीलांट) का कथन है कि गुरूदेव सिंह के द्वारा जो वसीयत निष्पादित की गई है वह अपीलांट मूर्ति मंदिर के हक–अधिकारों के विरूद्ध है और खातेदार को वसीयत करने का अधिकार उस स्थिति में है, जिस स्थिति में वह संपत्ति का मालिक हो परंतु उक्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री महाप्रभुजी की आराजी है जो परपेचुअल माईनर है, जिनकी सम्पत्ति/आराजी की वसीयत किसी के पक्ष में नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जावे। अपने कथन मे समर्थन मे अप्रार्थी (अपीलांट) अभिभाषक द्वारा निम्नानुसार न्यायिक उद्धरण पेश किये :–

RRT 2011 (2) page 1264 :- Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Sec. -135 Mutation – Addl. Divisional Commissioner set aside the order & quased the mutation & remanded the matter to Tehsildar- Parties are claiming rights on the basis of Will, adoption deed & sale deed- Mutations opened pending stay order with regard to the disputed land-Mutation proceedings should be kept pending till the decision of the regular suit-Held, No illegality or jurisdictional error in the order.

RRT 2023(2) Page 1111 : Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Sec. -135 and 84 read with 9-Mutation-'MR' was recorded khatedar of the land-after his death mutation was opended in favour of the petitioners-Non-petitioner, Bularam challenged the mutation after 32 years-Bularam was the son of Mannaram but went in adoption-No satisfactory explanation for dealy-Bularam has not approached the Courts with clean hands-regular suit is pending between the parties-Order deciding application under Section 5 is a final order and revision is maintainable-Held, Order passed by the Additional District Collector is set aside.

9 प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत पर ध्यान पूर्वक गौर करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां 2 अलग नियमित वाद जेरकार है जिसमे पक्षकारान के हक हकूको का विधि अनुसार निर्धारण होना है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत वादग्रस्त विरासत के संबध मे पारित किया है। आलौच्य आदेश मे विरासत को तय किया गया है। वादग्रस्त आराजी मंदिर की है अथवा नही उक्त कानूनी विवाद्यक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे जेरकार 2 अलग अलग नियमित राजस्व वाद मे तय किया जाना है। हस्तगत अपील प्रकरण के माध्यम से स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमे स्वतत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। तथा एक ही अनुतोष के लिये दो भिन्न न्यायालयो मे भिन्न कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत अनुसार हस्तगत अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (रेस्पो0 1 लगायत 3) द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित न्याायिक दृष्टांत चस्पा होते हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायहित मे रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तदनुसार हस्तगत अपील प्रकरण को इसी स्टेज पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी/नामा0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे 2 अलग विचाराधीन राजस्व नियमित मूल वाद के निर्णय तक विवादित करार दिया जाता है। वादग्रस्त आराजी/नामा0 विवादित होने का नोट नियमानुसार लाल स्याही से राजस्व अभिलेख/रेकार्ड मे अंकित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10 निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा